न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 07/2018 राजस्व अपील

1. आम जनता जोगियों की ढाणी ग्राम नामनेर तहसील सिकराय जिला दौसा।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. गंगासहाय पुत्र कन्हैया जाति जोगी निवासी नामनेर तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत नामनेर जरिये सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत नामनेर तहसील सिकराय जिला दौसा।

गैरनिगरानीकार

(निगरानी विरूद्ध पट्टा दिनांक 20.05.1985 पट्टा सं. 26, मिसल सं. 26 दायर दिनांक 23.08.1984 ग्राम पंचायत नामनेर पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा)

उपस्थिति : श्री गोरधन गुर्जर अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित।
: श्री शिवचरण शर्मा अधिवक्ता गैरनिगरानीकार सं. 1 उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: निर्णय :—

दिनांकः 03.01.2020

(प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति)

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम नामनेर में जोगियों की ढाणी में स्थित खसरा नं. 105 गैर मुमकिन आबादी रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा (0.27 है.) स्थित है, जो सार्वजनिक भूमि है। जिसमे शिवालय बना हुआ है, आंगनबाडी केन्द्र बना हुआ है, भैरू जी का स्थान बना हुआ है एवं संत महाराज का कच्चा स्थान पुराने जमाने का बना हुआ है। संत महाराज के स्थान के चारो ओर ढाणीवासियों ने मिलकर चंदा इकट्ठा कर चारो और बाउण्ड्रीवाल बनवाई है। संत महाराज के स्थान के चारो ओर की भूमि जिस पर ढाणीवासियों ने बाउण्ड्रीवाल करा रखी है उसको गैर निगरानीकार गंगासहाय हडपना चाहता है। जिसने गलत तरीके से न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सिकराय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर स्थगन आदेश की मांग की जिसे न्यायालय ने खारिज फरमा दिया फिर गंगासहाय ने मनमर्जी से गलत तरीके से उक्त भूमि को हडपने के लिये न्यायालय में पट्टा पेश कर दिया। ढाणीवासियों ने उक्त पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी। जिस पर ग्राम पंचायत नामनेर ने दिनांक 10.02.18 को यह सूचना भिजवाई कि उक्त पट्टा जारी किया गया उस समय का ग्राम पंचायत नामनेर में रिकार्ड उपलब्ध नहीं पाया गया है। निगरानीकारान द्वारा उक्त पट्टा सं. 26 दिनांक 20.5.1985 दायर दिनांक 23.08.1984 मिसल सं. 26 को निरस्त फरमाने हेतु यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता प्रार्थी(गैरनिगरानीकार) सं. 1 की ओर से प्रकरण में दिनांक 02.08.2019 को प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश किया गया। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश किये जाने पर दिनांक 30.08.2019 को अधिवक्ता निगरानीकारान(अप्रार्थीगण) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति का जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

प्र. सं. : 07/2018 निगरानी

प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति

अधिवक्ता प्रार्थी(गैरनिगरानीकार) सं.1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि निगरानीकारान(अप्रार्थीगण) को किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी तो प्रथमतः प्रशासन एवं स्थाई स्थापना समिति पंचायत समिति सिकराय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था। निगरानीकारान द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत सीधे ही निगरानी अदालत हाजा के समक्ष पेश की है जो किसी भी सूरत में पोषणीय नहीं है। ग्राम पंचायत नामनेर से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1984 से 31 मई 1985 तक का ग्राम पंचायत कार्यालय में रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना अंकित किया गया है। उक्त अवधि का रिकॉर्ड गायब है तो उसके सम्बन्ध में दोषी व जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा विधिक कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जिसका खामियाजा गैरनिगरानीकार कानूनन नहीं भुगत सकता है। इस कारण भी यह निगरानी पोषणीय नहीं है। निगरानीकर्तागण की ओर से एक राजीनामा बहक गैरनिगरानीकर्ता दिनांक [illegible] को स्टाम्प कीमती रूपये 100 व 2 सादा पाईपपेपर पर गैर निगरानीकार के हक में जारी पट्टेशुदा व बाउण्ड्रीवाल युक्त भुखण्ड से किसी दीगर का कोई लेना देना सम्बन्ध सरोकार नहीं होना तकमील किया है। निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित पट्टे के संबंध में एक दीवानी वाद गंगासहाय बनाम सतीश वाद सं. 22/17 श्रीमान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सिकराय के समक्ष लम्बित है। श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय सिकराय द्वारा बउनवानी प्रकरण गंगासहाय बनाम सतीश वगैरा टीआई प्रार्थना पत्र सं. 17/17 में मौका कमिश्नर नियुक्त कर विवादित स्थल की मौका रिपोर्ट तलब की गई थी। जिसके पैरा सं. 1 में बिन्दु ए बी सी डी विवादित बाड़ा अंकित किया है। जिसके तीन ओर पुख्ता बाउन्ड्रीवाल मौजूद है। एक तरफ खुल्ला है। जिसमे बलिता कन्डो का खाम, घर ट्रैक्टर के हल आदि गैर निगरानीकार के रखे हुए है। जो इस बात का प्रमाण है कि विवादित स्थल पर किसी प्रकार का कोई धार्मिक स्थान नहीं है। इसलिये भी यह निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। सिविल न्यायालय के समक्ष वाद पत्र विचाराधीन रहते हुए राजस्व न्यायालय के समक्ष उसी विषयवस्तु के सम्बन्ध मे उठाये गये उजरात विचारण योग्य नहीं है। निगरानीकर्तागण द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र आम जन के हित में प्रस्तुत नहीं किया जाकर स्वयं के निजी लाभ व आपसी रंजिश व सिविल न्यायालय के समक्ष विवाद के लम्बित रहते हुए प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी गैरनिगरानीकार सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार की जाकर निगरानीकारान(अप्रार्थीगण) की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता निगरानीकारान(अप्रार्थीगण) द्वारा जवाब बहस में जवाब प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम नामनेर में जोगियों की ढाणी में स्थित भूमि खसरा नं. 105 गैर मुमकिन आबादी रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा(0.27 है.) स्थित है। जो सार्वजनिक व सरकारी भूमि है। जिसमें आंगनबाडी केन्द्र, भैरू जी का स्थान एवं संत महाराज का कच्चा स्थान पुराने जमाने का बना हुआ है। सभी ढाणीवासी भैरू जी के स्थान एवं संत महाराज के स्थान पर सेवा पूजा कर धर्म लाभ उठाते चले आ रहे है। संत महाराज के स्थान के चारो और की भूमि पर ढाणीवासियों ने चन्दा इकट्ठा कर बाउण्ड्रीवाल बना रखी है। उसे गैर निगरानीकार हडपना चाहता है। जिसने गलत तरीके से सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सिकराय के समक्ष झूंठे तथ्य अंकित कर वाद प्रस्तुत किया एवं स्थगन आदेश की मांग की, जिस पर न्यायालय ने गैरनिगरानीकार गंगासहाय द्वारा मांगा गया स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया। फिर गंगासहाय ने उक्त भूमि को हडपने के लिये स्वयं फर्जी पट्टा बनवाकर पेश कर दिया। उक्त फर्जी पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत नामनेर से सूचना के अधिकार के तहत नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया। जिसका जवाब यह प्राप्त हुआ कि पट्टे का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 28.06.2019 को लेटरपैड पर जवाब

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्तुत किया गया है। गैरनिगरानीकार गंगासहाय गलत रूप से उक्त सरकारी व सार्वजनिकभूमि को हडपने के आशय से तरह–तरह के हथकंडे अपनाता है इसलिये गंगासहाय ने यह प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति प्रकरण को लम्बित करने के लिये झूंठे तथ्य अंकित कर प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी(गैरनिगरानीकार) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति को खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति का भी भली प्रकार से अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी(गैरनिगरानीकार) द्वारा मूल प्रकरण में साक्ष्य सबूत पेश कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की बजाय प्रकरण को लम्बित करने की गरज से प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश किया गया है। जिसे स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (गैरनिगरानीकार) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति खारिज किया जाता हैं। प्रार्थना पत्र का निर्णय शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर की बहस हेतु दिनांक 24.01.2020 को पेश हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official